अपने दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से [illegible] भौतिक प्रमाणों के प्रस्तुतीकरण होने पर जुर्माना देना पड़ेगा।

फोलियो/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी: [illegible]

मापक का नाम एवं हस्ताक्षर: पूजा बाहरी

दिनांक एवं स्थान: 10 सितम्बर, 2021, नई दिल्ली

8/266, पश्चिम में – मकान नं. 8/268, दक्षिण में – 30फीट चौडी रोड

दिनांक 04.09.2021, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

[CIN : L17111UP1974PLC003970]

पंजी. कार्यालय: 19वाँ कि.मी., हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश 203408

कार्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग सेन्टर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली 110070, फैक्स: (011) 46521200

टेलि: (011) 46521100, ई मेल: cs_jpoly@jindalgroup.com

वेबसाइट: www.jindalpoly.com

47वीं वार्षिक आम सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (''अधिनियम'') के अनुपालन में जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 3.00 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें 47 वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के लागतार प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपनी सर्क्युलर सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तथा 02/2021 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (क्रमशः) (सामूहिक रूप से ''एमसीए सर्क्युलर्स'' विदित) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 तथा सेबी सर्क्युलर नं. सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सेबी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 तिथि 5 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से ''सेबी सर्क्युलर्स'' विदित) के माध्यम से कम्पनी की 47 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये किसी स्थान विशेष पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा वार्षिक आम सभा के आयोजन की अनुमति दी है।

अधिनियम की धारा 101 तथा 136 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी सूचीयन विनियमन के विनियमन 36 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा एमसीए सर्क्युलर्स एवं सेबी सर्क्युलर्स के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ 47वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रानिक पद्धति से 8 सितम्बर, 2021 को ई-मेल द्वारा केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं।

सदस्य ध्यान रखें कि वह कम्पनी की वेबसाईट स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट https://www.jindalpoly.com/ download reports अर्थात् एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात् बाम्बे स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com क्रमशः तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड (''केफिन टेक'') की वेबसाईट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनसे आग्रह है कि इलेक्ट्रानिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट केफिन टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड (''केफिन टेक'') सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगम पल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगना-500032 को लिख कर उसे पंजीकृत करा लें।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानकों-2 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार वह कम्पनी अपने शेयरधारकों को सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47वीं एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जिसकी विस्तृत प्रक्रिया सूचना के निर्देश भाग में दी गई है।

उक्त कट-ऑफ तिथि अर्थात् वृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों (ऐसे सदस्यों सहित जिन्होंने उपरोक्त रूप में केफिन अथवा डीपी'ज के पास अपने ईमेल पते का पंजीकरण नहीं कराने के कारण इस सूचना को प्राप्त नहीं किये हों), वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47 वीं एजीएम के दौरान इन्स्टा पोल के माध्यम से ई-वोटिंग द्वारा 47वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

''सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी सर्क्युलर सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242'' तिथि 9 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन में उनकी डीमैट खाताओं/डिपॉजिटरीज/डीपी'ज की वेबसाइटों के माध्यम से सिंगल लागिन क्रेडेन्शियल द्वारा सभी वैयक्तिक डीमैट खाताधारकों के लिये ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है। वोटिंग प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाने के लिये उसकी विस्तृत प्रक्रिया 47 वीं एजीएम की सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा तत्काल उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें अपने मत में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य 47 वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 47 वीं एजीएम के दौरान पुनः मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

वीसी के माध्यम से 47 वीं एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों तथा ऐसे करने से अन्यथा वंचित नहीं हों, वे 47 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा ई-वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

सदस्यगण अपने रिमोट ई-वोटिंग (ईवेन्ट नं. 6287), लॉगिन क्रेडेन्शियल का उपयोग करते हुए https://emeetings.kfintech.com पर वीसी/ओएवीएम द्वारा 47वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भागीदारी, ई-वोटिंग की प्रक्रिया सहित यह तरीका जिसमें भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, पर विस्तृत निर्देश सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई गई है।

यदि कोई व्यक्ति 47 वीं एजीएम की सूचना में प्रेषण के बाद किन्तु ई-वोटिंग के लिये कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 को या उससे पूर्व कम्पनी का सदस्य बने हों अथवा 47 वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद अपना ईमेल पता पंजीकृत कराये हों, ऐसे सदस्य सूचना के निर्देश भाग में वर्णित प्रक्रिया में अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

इस सूचना में वर्णित सभी दस्तावेज तथा उसके भौतिक तथ्यों से युक्त व्याख्यात्मक विवरण तथा विधिक रजिस्टर्स कम्पनी द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जायेगी तथा इसलिये सदस्यों से आग्रह है कि संबंधित दस्तावेजों के लिये cs_jpoly@jindialgroup.com पर ईमेल से अनुरोध भेजें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा मतदान के लिये किसी प्रश्न/समस्या की स्थिति में सदस्यगण https://evoting.kfintech.com (केफिनटेक की वेबसाईट) पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा श्री सुरेश बाबू डी, उप प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगम पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 से सम्पर्क करें अथवा einward.ris@kfintech.com पर ईमेल भेजें अथवा 1800 3094 001 पर कॉल करें अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान की प्रक्रिया तथा तरीका के लिये कृपया 47 वीं एजीएम की सूचना देखें।

कम्पनी का ISIN है INE197D01010 सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी शेयरों को डिमैटेरियलाइज करा लें।

निदेशक मंडल के आदेश से
जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
संजीव कुमार
कम्पनी सचिव
ACS: 18087

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 08 सितम्बर, 2021

यूनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 19वाँ कि.मी., हापुर-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, (उ.प्र.)

CIN: L22222UP2011PLC103611

ई-मेल आईडी: cs_uphoto@universusphotoimagings.com

वेबसाईट: www.universusphotoimagings.com, टेलीफोन नं.: 91-11-40322100,

10वीं वार्षिक आम सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (''अधिनियम'') के अनुपालन में यूनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड की 10वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 4.30 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें 10 वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के लागतार प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपनी सर्क्युलर सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तथा 02/2021 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (क्रमशः) (सामूहिक रूप से ''एमसीए सर्क्युलर्स'' विदित) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 तथा सेबी सर्क्युलर नं. सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सेबी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 तिथि 5 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से ''सेबी सर्क्युलर्स'' विदित) के माध्यम से कम्पनी की 10 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये किसी स्थान विशेष पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा वार्षिक आम सभा के आयोजन की अनुमति दी है।

अधिनियम की धारा 101 तथा 136 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी सूचीयन विनियमन के विनियमन 36 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा एमसीए सर्क्युलर्स एवं सेबी सर्क्युलर्स के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ 10वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रानिक पद्धति से 8 सितम्बर, 2021 को ई-मेल द्वारा केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं।

सदस्य ध्यान रखें कि वह कम्पनी की वेबसाईट स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट https://www.universusphotoimagings.com/investors.html, स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात् बाम्बे स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com क्रमशः तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड (''केफिन टेक'') की वेबसाईट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनसे आग्रह है कि इलेक्ट्रानिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट केफिन टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड (''केफिन टेक'') सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगम पल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगना-500032 को लिख कर उसे पंजीकृत करा लें।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानकों-2 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी अपने शेयरधारकों को सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10वीं एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जिसकी विस्तृत प्रक्रिया सूचना के निर्देश भाग में दी गई है।

उक्त कट-ऑफ तिथि अर्थात् वृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों (ऐसे सदस्यों सहित जिन्होंने उपरोक्त रूप में केफिन अथवा डीपी'ज के पास अपने ईमेल पते का पंजीकरण नहीं कराने के कारण इस सूचना को प्राप्त नहीं किये हों), वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10 वीं एजीएम के दौरान इन्स्टा पोल के माध्यम से ई-वोटिंग द्वारा 10वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

''सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी सर्क्युलर सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242'' तिथि 9 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन में उनकी डीमैट खाताओं/डिपॉजिटरीज/डीपी'ज की वेबसाइटों के माध्यम से सिंगल लागिन क्रेडेन्शियल द्वारा सभी वैयक्तिक डीमैट खाताधारकों के लिये ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है। वोटिंग प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाने के लिये उसकी विस्तृत प्रक्रिया 10 वीं एजीएम की सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा तत्काल उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें अपने मत में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य 10 वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 10 वीं एजीएम के दौरान पुनः मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

वीसी के माध्यम से 10 वीं एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों तथा ऐसे करने से अन्यथा वंचित नहीं हों, वे 10 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा ई-वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

सदस्यगण अपने रिमोट ई-वोटिंग (ईवेन्ट नं. 6288), लॉगिन क्रेडेन्शियल का उपयोग करते हुए https://emeetings.kfintech.com पर वीसी/ओएवीएम द्वारा 10वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भागीदारी, ई-वोटिंग की प्रक्रिया सहित यह तरीका जिसमें भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, पर विस्तृत निर्देश सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई गई है।

यदि कोई व्यक्ति 10 वीं एजीएम की सूचना में प्रेषण के बाद किन्तु ई-वोटिंग के लिये कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 को या उससे पूर्व कम्पनी का सदस्य बने हों अथवा 10 वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद अपना ईमेल पता पंजीकृत कराये हों, ऐसे सदस्य सूचना के निर्देश भाग में वर्णित प्रक्रिया में अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

इस सूचना में वर्णित सभी दस्तावेज तथा उसके भौतिक तथ्यों से युक्त व्याख्यात्मक विवरण तथा विधिक रजिस्टर्स कम्पनी द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जायेगी तथा इसलिये सदस्यों से आग्रह है कि संबंधित दस्तावेजों के लिये cs_uphoto@universusphotoimagings.com पर ईमेल से अनुरोध भेजें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा मतदान के लिये किसी प्रश्न/समस्या की स्थिति में सदस्यगण https://evoting.kfintech.com (केफिनटेक की वेबसाईट) पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा श्री सुरेश बाबू डी, उप प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगम पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 से सम्पर्क करें अथवा einward.ris@kfintech.com पर ईमेल भेजें अथवा 1800 3094 001 पर कॉल करें अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान की प्रक्रिया तथा तरीका के लिये कृपया 10 वीं एजीएम की सूचना देखें।

कम्पनी का ISIN है INE03V001013 सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी शेयरों को डिमैटेरियलाइज करा लें।

निदेशक मंडल के आदेश से
यूनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
सुरेश कुमार
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 08 सितम्बर, 2021